

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (255) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/विविध/2015-16

जयपुर, दि. 2 जुलाई, 2017

जिला कलक्टर,  
समस्त, राजस्थान।


**विषय :-** निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्रों पर अनाधिकृत रूप से विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने पर जारी प्रमाण-पत्र की 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करने की शर्त (बिन्दु संख्या-7) को हटाये जाने बाबत।

**प्रसंग :-** समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज) के परिपत्र क्रमांक एफ. 4 ( )पंरावि/पीसी/विविध/2013/187 दिनांक 19.02.2013 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पंचायती राज के अधीन विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र पर विकास अधिकारी हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत नहीं है। इस क्रम में जारी प्रासंगिक पत्र द्वारा शिड्यूल ऑफ पावर एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानानुसार निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी करने के उपरान्त भी उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्रों पर अनाधिकृत रूप से विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने पर जारी प्रमाण-पत्र की 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करने की शर्त (बिन्दु संख्या-7) विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2016 द्वारा लगायी गई थी।


उक्त संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर परिपत्र दिनांक 17.09.2014 एवं स्थायी आदेश संख्या 32/2017 दिनांक 13.04.2017 के निर्धारित प्रावधानानुसार कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत के अधीन स्वीकृत कार्यों के उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्रों पर केवल संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम सेवक तथा प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी (कनिष्ठ/सहायक/अधिशिषी अभियंता) के संयुक्त हस्ताक्षर से ही जारी किये जावेंगे।

अतः उक्तानुसार निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्रों पर विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.2017 द्वारा बिन्दु संख्या-7 पर वर्णित 1 प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करने के निर्देश स्वतः ही निष्प्रभावी होंगे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
8. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग को उनके अ.शा. टीप क्रमांक एफ. 28 ( )पंरावि/प्रशा.-2/रा.पं.राज सेवा परिषद्/ज्ञापन/2017/2771 दिनांक 11.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/प्रो0) महात्मा गाँधी नरेगा/ग्रामीण विकास/पंचायतीराज
10. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी-I/एसएपी-II/ईजीएस), ग्रामीण विकास।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
12. अधिशिषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)